रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2019/आश्विन 26, 1941
No. 624] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2019/ASVINA 26, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 798(अ).— कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, डिजाइन नियम, 2001 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे डॉ. आशीष कुमार, वरिष्ठ विकास अधिकारी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 पर भेजे जा सकते हैं अथवा krashish@nic.in पर ई-मेल भेजी जा सकती है।

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन (संशोधन) नियम, 2019 है।

2. डिजाइन नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में, खंड (ङक) के पश्चात,

निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

(ङख) "स्टार्ट-अप" का आशय है—

(क) स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की एक अस्तित्व; और

(ख) विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अनुसार व्यापारावर्त और अपने निगमन/पंजीकरण की अवधि संबंधी मानदंड पूरा करने और इस विषयक उद्घोषणा दाखिल करने वाली एक अस्तित्व।

स्पष्टीकरण: व्यापारावर्त की गणना करते समय भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर लागू होगी।"

3. उक्त नियम के, नियम 5 के उप-नियम (2) में,

(i) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात: —

"(ङ) ऐसे मामले में जहां किसी प्रकृत व्यक्ति और/ अथवा स्टार्टअप और/ अथवा लघु अस्तित्व द्वारा की गई किसी आवेदन की कार्रवाई किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित की जाती है वहाँ उसी विषय में किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस और प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप अथवा लघु अस्तित्व से भिन्न व्यक्ति से प्रभारित फीस के बीच फ़ीसों के मापमान के अंतर का, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ संदाय किया जाएगा।**";**

(ii) खंड (च) को हटाया जाएगा।

(iii) उप-नियम (ङ) के पश्चात स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात: —

"स्पष्टीकरण—जहां स्टार्टअप / लघु अस्तित्व डिजाइन आवेदन फाइल करने के बाद, वह अवधि जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उस के बीत जाने के उपरांत अथवा तदोपरांत उसका व्यापारावर्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा पार कर लेने के कारण, वह स्टार्टअप/ लघु अस्तित्व नहीं रह जाता है, वहां फीस के परिमाण में किसी अंतर का भुगतान नहीं करना होगा।"।

4. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: —
"डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं को विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइन (लोकार्नो वर्गीकरण)" के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।"

5. उक्त नियम में, प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

प्रथम अनुसूची

(नियम 5 देखें)

फीस

प्रविष्टि की सं.	निम्नलिखित पर संदेय	सुसंगत प्ररूप की सं.	फीस (रुपए में)	
			प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ अथवा स्टार्टअप(पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व(वों) के लिए	अन्य, अकेले अथवा प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ अथवा स्टार्टअप (पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के साथ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 5 और धारा 44 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	1	1000	4000
2	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन दावा करने पर	2	500	2000
3	धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार के लिए आवेदन पर	3	2000	8000
4	धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यपगत डिज़ाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000	4000
5	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	-	1000	4000
6	धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500	2000
7	जब धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं. दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	6	500	2000
8	जब रजिस्ट्रीकरण सं. न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	7	1000	4000
9	धारा 19 के अधीन डिजाइन को रद्द करने के लिए याचिका पर	8	1500	6000

10	धारा **21** के अधीन किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना	**9**	**500**	**2000**
11	धारा **30** की उपधारा **(3)** के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**,**	**10**		
	एक डिजाइन की बाबत		**500**	**2000**
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		**200**	**800**
12	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर**,—**	**11**		
	एक डिजाइन की बाबत		**500**	**2000**
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		**200**	**800**
13	डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर,—	**12**		
	एक डिजाइन की बाबत		**500**	**2000**
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		**200**	**800**
14	धारा 30 और नियम 37 के अधीन डिजाइन रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन**,** —	**13**		
	एक डिजाइन की बाबत		**500**	**2000**
	प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए		**200**	**800**
15	धारा **29** के अधीन लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए अनुरोध पर	**14**	**500**	**2000.**
16	धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणन के लिए अनुरोध पर	**15**	**500**	**2000**
17	धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर	**16**	**500**	**2000**
18	धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर	**17**	**500**	**2000**

19	नियम 15 और नियम 18 के अधीन पूर्विक्ता दस्तावेज फाइल करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर	**18**	**200** **(प्रति मास)**	**800** **(प्रति मास)**
20	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना पर	**19**	**100**	**400**
21	नियम 29 और नियम 40 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना	**20**	**500**	**2000**
22	अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्ररूप	**21**	**-**	**-**
23	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या सेवा पता में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध पर	**22**	**200**	**800**
24	डिजाइन रजिस्टर में दो पते की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध पर	**23**	**200**	**800**
25	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 46 के अधीन याचिका पर	**-**	**500**	**2000**
26	समय बढ़ाने के लिए नियम 29, नियम 40, नियम 47, के अधीन याचिका पर	**-**	**500**	**2000**
27	नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक डिजाइन की बाबत)	**-**	**250**	**1000**
28	अन्यथा उपबंधित नहीं की गई याचिका पर	**-**	**1000**	**4000**
29	किसी लघु अस्तित्व की प्रस्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना	**24**	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं

6. उक्त नियम में, द्वितीय अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात: —

क. प्ररूप सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: —

प्ररूप 1

[डिजाइन अधिनियम, 2000]

डिजाइनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

(धारा 5 व 44 देखें)

(फीस के लिए प्रथम	आप से अनुरोध है कि संलग्नक को वर्ग सं.[क] .... में .... के नाम से..

अनुसूची देखें) क वर्ग की संख्या लिखिए ख पूरा पता व राष्ट्रीयता लिखिए ख1 आवेदक की श्रेणी [कृपया समुचित श्रेणी पर (✓) निशान लगाएं]	.... जो स्वत्वधारी(यों) होने का दावा करता है (करते हैं) रजिस्टर करें। प्रकृत व्यक्ति ( ) स्टार्ट-अप ( ) लघु अस्तित्व ( ) अन्य ( ) ख1
ग बताएं कि रेखाचित्र, फ़ोटोचित्र, अनुरेखण या नमूनों में से क्या दिया गया है।	इस अनुरोध के साथ डिजाइन के चार वैसे हीग.............. .... लगे हैं।
घ वस्तु या वस्तुओं के नाम	डिजाइन घ .... को लागू किया जाना है।

जिन पर डिजाइन लागू किया जाना है या संवर्ग में अंतर्विष्ट प्रत्येक वस्तु का व्यापार विवरण बताएं।	
ङ इन शब्दों को काट दें यदि पूर्व में रजिस्ट्रीकरण किया गया है।	डिजाइन ङ वर्ग (वर्गों) में सं. के अधीन ....पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत है। कन्वेन्शन देश या देशों के समूह या अंतरशासकीय संगठन में किए गए पहले आवेदन का ब्यौरा। i. देश/ अंतरशासकीय संगठन का नाम .... ii. फाइल करने की तारीख .... iii. आवेदन संख्या .... iv. आवेदक का नाम ....
च जब तक भारत में सेवार्थ पता नहीं दिया जाता है, तब तक अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।	भारत में सेवार्थ पता च निम्नलिखित है ....
छ. आवेदक या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	घोषणा: आवेदक डिजाइन के स्वत्वधारी होने का और उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार डिजाइन नया या मूल होने का दावा करता है। .... आज तारीख .... 20... (हस्ताक्षरित)छ..

सेवा में

डिजाइन नियंत्रक,

पेटेंट कार्यालय, ...

* यदि कोई पूर्वतन रजिस्ट्रीकरण या पूर्विक्ता का दावा नहीं किया गया है तो शब्दों को काट दें।"

ख. प्ररूप 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः—

"

<table>
<tr><td colspan="4">प्ररूप-24
(डिजाइन अधिनियम, 2000)
(नियम 2 & 5 देखें)
लघु अस्तित्व अथवा स्टार्टअप की प्रस्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा</td></tr>
<tr><td>1</td><td>नाम, पता और राष्ट्रीयता प्रविष्ट करें।
कृपया समुचित श्रेणी पर निशान लगाएं</td><td colspan="2">मैं/ हम ………………………………………………
डिजाइन आवेदन संख्या ………………… के संदर्भ में आवेदक एतदद्वारा यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम लघु अस्तित्व अथवा स्टार्टअप हूँ/हैं और निम्न दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हैं:</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">पात्रता के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़:</td></tr>
<tr><td>i.</td><td colspan="3">लघु अस्तित्व होने का दावा करने के लिए:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य।
ख. विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td colspan="3">स्टार्टअप होने का दावा करने के लिए:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">क. भारतीय आवेदक के लिए : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्रमाण पत्र।
ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">वचन बंध</td><td>यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य है।

……… आज तारीख ………… 20...</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">आवेदक(कों) / रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी (यों)/ प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम।</td><td>हस्ताक्षर ……………………</td></tr>
</table>

टिप्पण:

1. लघु अस्तित्व/ स्टार्टअप के रूप में प्रस्थिति की बाबत तथ्यों की गलत सूचना/ दुर्व्यपदेशन के आधार पर फीस में कमी का फायदा लेने का यह अभिप्राय होगा कि नियम 5(2)(ख) द्वारा यथा आदेशाधीन दस्तावेज़ के साथ संपूर्ण फीस नहीं है। धारा 24(2) के अनुसार ऐसे मामले में दस्तावेज़ का फाइल किया जाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक फीस का पूर्णतया संदाय नहीं कर दिया गया हो।

2. लघु अस्तित्व/ स्टार्टअप के रूप में प्रस्थिति के बारे में कोई असत्य सुझाव या असत्य व्यपदेशन करके डिजाइन रजिस्टर में प्रविष्ट रजिस्ट्रीकृत डिजाइन पर डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 31 के उपबंध लागू हो सकते हैं।"

7. उक्त नियम की तृतीय अनुसूची में, निम्नलिखित के स्थान पर रखे जाएंगे, अर्थात:

"[विलुप्त]"

8. उक्त नियम की चतुर्थ अनुसूची में, निम्नलिखित के स्थान पर रखे जाएंगे, अर्थात: —

9. "चतुर्थ अनुसूची

(नियम 43 देखें)

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि की सं.	वे विषय जिनकी बाबत खर्च अधिनिर्णीत किया जाएगा	राशि (रुपए में)	
		प्रकृत व्यक्ति(यों) और/ अथवा स्टार्टअप(पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व (वों) के लिए	अन्य, अकेले अथवा प्रकृत व्यक्ति (यों) और/ अथवा स्टार्टअप (पों) और/ अथवा लघु अस्तित्व(वों) के साथ
1	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना के लिए	100	400
2	धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की याचिका के लिए	1000	4000
3	सुनवाई में उपस्थित होने की जानकारी की सूचना के लिए	200	800
4	मुखतारनाम के लिए स्टांप, जहां वृत्तिक को नियुक्त किया गया है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है
5	सुसंगत शपथपत्र की बाबत स्टाम्प फीस	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गयी है
6	नियम 29 के उपनियम (1) और नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन कथन और साक्ष्य के लिए	200	800
7	नियम 29 के उपनियम (3) और नियम 40 के उपनियम (4) के अधीन प्रति कथन।	200	800
8	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक शपथ पत्र के लिए	100	400
9	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक उद्धरण के लिए	100	400

10	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या उद्धरण के लिए	100	400
11	नियंत्रक के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए।		

[फा.सं. पी-24024/81/2019-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2019

G.S.R. 798(E).—The following draft rules to further amend the Designs Rules, 2001, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000), are hereby published, as required by sub-section (3) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Dr. Ashish Kumar, Senior Development Officer, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at krashish@nic.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2019.
2. In rule 2 of the Designs Rules, 2001 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (ea), the following clause shall be inserted, namely:-

(eb) "startup" means-

(a) an entity in India recognised as a startup by the competent authority under Startup India initiative; and

(b) in case of a foreign entity, an entity fulfilling the criteria for turnover and period of incorporation/ registration as per Startup India Initiative and submitting declaration to that effect.

Explanation: In calculating the turnover, reference rates of foreign currency of the Reserve Bank of India shall prevail."

3. In Rule 5 of the said rules, in sub-rule (2),

(i) clause (e) shall be substituted by the following clause, namely:-

"(e) In case an application processed by a natural person and/ or startup and/ or small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup or small entity, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup or small entity and the

fees chargeable from the person other than a natural person, startup or small entity in the same matter, shall be paid by the new applicant with the request for transfer.”;

(ii) clause (f) shall be deleted.

(iii) an explanation shall be inserted after sub-rule (e), namely:-

“Explanation— Where a startup/ small entity, having filed an application for a design, ceases to be a startup/ small entity due to the lapse of the period during which it is recognised by the competent authority, or its turnover subsequently crosses the financial threshold limit as notified by the competent authority, no such difference in the scale of fees shall be payable.”

4. In Rule 10 of the said rules, clause (1) shall be substituted, namely:-

“For the purposes of the registration of designs and of these rules, articles shall be classified as per current edition of “International Classification for Industrial Designs (Locarno Classification)” published by World Intellectual Property Organization (WIPO).”

5. In the said rules, the FIRST SCHEDULE shall be substituted by the following, namely:-

FIRST SCHEDULE

(See Rule 5)

FEES

Number of entry	On what payable	Number of the relevant Form	Fees (in Rupees)	
			For natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	On application for registration of design under sections 5 and 44.	1	1000	4000
2	On claim under section 8 (1) and (5) to proceed as an applicant or joint applicant.	2	500	2000
3	On application for extension of copyright under section 11(2).	3	2000	8000
4	On application for restoration of lapsed design under section 12(2).	4	1000	4000
5	Additional fee for restoration.	-	1000	4000
6	Inspection of registered design under section 17(1).	5	500	2000
7	On request for information of design when registration No. given under section 18.	6	500	2000
8	On request for information of design when registration No. not given.	7	1000	4000
9	On petition for cancellation of design under section 19.	8	1500	6000

10	Notice of intended exhibition or publication of an unregistered design under section 21.	9	500	2000
11	Application for registration of a document in Register of Design under section 30(3),-	10		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
12	On application for entry of name of proprietor or part proprietor in Register of Design under section 30,-	11		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
13	On application for entry of mortgage or license	12		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
14	Application for entry of notification of a document in the Register of Design under section 30 and rule 37,-	13		
	In respect of one design		500	2000
	For each additional design		200	800
15	On request for correction of clerical error under section 29.	14	500	2000.
16	On request for certification under section 26 and rule 41.	15	500	2000
17	On application for certified copy of registered design under section 17(2).	16	500	2000
18	On application for rectification of Register of Design under section 31.	17	500	2000
19	On application for extension of time for filing priority document under rule 15 & rule 18.	18	200 (per month)	800 (per month)
20	On notice of opposition under rule 40.	19	100	400
21	Notice of intention to attend hearing under rule 29 and 40.	20	500	2000

22	Form for authorization of agent or other person.	21	-	-
23	On request to alter names or address or address for service in the Register of Design under rule 31.	22	200	800
24	On request for entries of two address in the Register of Design.	23	200	800
25	On petition under rule 46 for amendment of any document.	-	500	2000
26	On petition under rules 29, 40, 47 for enlargement of time.	-	500	2000
27	Inspection of Register of Design under rule 38 (in respect of each design).	-	250	1000
28	On petition not otherwise provided for	-	1000	4000
29	To be submitted for claiming the status of a small entity	24	No fee	No fee

6. In the said rules, in the SECOND SCHEDULE, the following amendments shall be made, namely:-
   a) Form No. 1 will be substituted as follows, namely:-

"FORM 1

[THE DESIGNS ACT, 2000]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF DESIGNS

(See sections 5 and 44)

(For Fee see First Schedule)	
[A] Insert number of class [B] Insert (in full) address and nationality	You are requested to register the accompanying in Class No. [A] .... in the name of [B]..…… ……… who claim(s) to be the proprietor(s)thereof.
[B1] Category of applicant [Please tick (✓) for the appropriate category]	Natural Person ( ) Start-up ( ) Small Entity ( ) Others ( ) [B1]
[C] State whether drawings, photographs, tracings or specimens.	Four exactly similar [c] ....of the design accompany this request.
[D] Insert name of article or articles to which the design is to be applied or state trade description of each of the articles contained in the set	The design is to be applied to [D] .... …………………………………………………………………................... ....………………………… …………………………………………

[E] Strike out these words if previous registration has been effected.	[E] The design has been previously registered in class(es)…… under No……………………………………………………. Details of first application in a convention country or group of countries or inter-governmental organisation. i. Name of the country/inter-governmental organization…. ii. Date of filing………………………………………………… iii. Application number………………………………………… iv. Name of the applicant………………………………………
[F] Unless an address for service in India in given, the request may not be considered.	[F] Address for service in India is……………………………..……………………………………………………………………
[G] To be signed by the applicant or by authorised agent.	Declaration: The applicant claims to be the proprietor(s) of the design and that to the best of his knowledge and belief the design is new or original. Dated this .... Day of ………………20……………. (Signed)[G]…………………………………………………….

TO

THE CONTROLLER OF DESIGNS,

THE PATENT OFFICE, …………….

* Strike out the words if no previous registration or priority claim has been effected".”

b) Form 24 will be substituted as follows, namely:-

“

FORM-24 **(DESIGNS ACT, 2000)** **(See Rule 2&5)** **TO BE SUBMITTED FOR CLAIMING THE STATUS OF A SMALL ENTITY OR STARTUP**		
1	Insert name, address and nationality Please tick the appropriate category	I/ We ………………………………………………. applicant/ in respect of the design application no. ……………… hereby declare that I/we am/are a small entity or a startup and submit the following document(s) as proof:
2	Documents to be submitted as evidence of eligibility:	
i.	**For claiming the status of a small entity:**	
	A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006). B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility	
ii.	**For claiming the status of a startup:**	
	A. For an Indian applicant: The certificate of recognition from Department for Promotion of Industrial Policy and Internal Trade B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility	

3.	Undertaking	The information provided herein is correct to the best of my/ our knowledge and belief. Dated this ……….day of …………. 20...
4.	To be signed by the applicant(s)/ registered proprietor(s)/ authorised registered patent agent. Name of the natural person who has signed.	Signature ……………………

Note:

1. Availing of benefit of reduction in fee on the basis of incorrect information/ misrepresentation of facts with regard to status as a small entity/ startup would mean that the entire fee did not accompany the document, as mandated by rule 5(2)(b). In such a case, in accordance with section 24(2), the filing of the document shall be of no effect unless the fee has been fully paid.
2. A registered design entered into the Register of designs by making any false suggestion or false representation as to the status as small entity/startup may attract the provisions of section 31 of the Designs Act, 2000."

7. In the THIRD SCHEDULE to the said rules, following shall be substituted, namely:

"[Omitted]"

8. In the FOURTH SCHEDULE to the said rules, the following shall be substituted, namely:

"THE FOURTH SCHEDULE

(See rule 43)

Scale of costs allowable in proceedings before the Controller

Number of Entry	Matter in respect of which cost is to be awarded	Amount (in rupees)	
		For natural person(s) and/ or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)	Other, alone or with natural person (s) and/or Startup(s) and/ or Small entit(y)/(ies)
1	For notice of opposition under rule 40	100	400
2	For petition for cancellation of the registration for design under section 19	1000	4000
3	For notice of information to attend hearing	200	800
4	Stamps for power of attorney, where a professional has been appointed	The amount actually paid	The amount actually paid
5	Stamps fee in respect of relevant affidavit	The amount actually paid	The amount actually paid
6	For statement and evidence under sub-rule (1) of rule 29 and sub-rule (2) of rule 40	200	800
7	Counter statement under sub- rule (3) of rule 29 and sub- rule 4 of rule 40.	200	800

8	For each affidavit, if relevant	100	400
9	For each citation, if relevant	100	400
10	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation	100	400
11	For every day or part of a day hearing before the Controller.	500	2000".

”

[F. No. P-24024/81/2019-IPR-V]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.21 18:08:39 +05'30'